न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

225RTA2020-00218Ju2020-128 Chananram etc Vs Harchandram etc

---

01. चानणराम पुत्र बाबूराम
02. मैनादेवी उर्फ नैनादेवी पत्नि बाबूराम
03. जेठाराम पुत्र लालूराम
04. मगाराम पुत्र लालूराम
05. प्रेमाराम पुत्र लालूराम
06. हडमानराम पुत्र लालूराम
07. खेताराम पुत्र लालूराम
08. श्रवणराम पुत्र पूनाराम सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण-'ग्राम शेखासर, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
09. समदी पुत्री पूनाराम पत्नि कानाराम
10. राधा पुत्री पूनाराम पत्नि घेवरराम जातियान मेघवाल, निवासीगण- ग्राम खारा तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
11. तुलसी पुत्री पूनाराम पत्नि हरुराम
12. शांति पुत्री पूनाराम पत्नि कालूराम जातियान् मेघवाल, निवासीगण- महादेवपुरा, घटोर।
13. वेक्रू पत्नि पूनाराम
14. गेमाराम पुत्र जीवणराम जातियान् मेघवाल, निवासीगण- ग्राम शेखासर, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. हरचंदराम पुत्र नैनाराम
02. ताराचंद पुत्र नैनाराम

परफोर्मा रेस्पोडेंट

03. अणदाराम पुत्र पुंजाराम
04. मनोहरराम पुत्र रामूराम
05. डूंगरराम पुत्र रामूराम जातियान् मेघवाल, निवासीगण- ग्राम शेखासर, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
06. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप दिनांक 19 अगस्त 2020 राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 08/2020 हरचंदराम बनाम चानणरा इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
रेस्पोडेंट्स एवं रेस्पोडेंट्स संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता बावजूद सूचना के अनुपस्थित।
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या छः

नि र्ण य

दिनांक : 18 अक्टूबर 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 08/2020 हरचंदराम बनाम चानणराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 19 अगस्त 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 24 सितंबर 2020 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा 88,53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि ग्राम शेखासर तहसील बाप के खसरा नं. 179 रकबा 40 बीघा 04 बिस्वा स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का 80/804 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 40/804 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7/1 से 7/7 व 8 का 376/804 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 का 40/804 हिस्सा स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से मौके पर अलग-अलग कब्जा व काश्त चला आ रहा है। आपसी सहमति अनुसार वाद के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार वादीगण का कब्जा व काश्त है। इस नजरी नक्शा अनुसार बंटवाड़ा किया जावे। वाद के साथ वादी द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2020 को अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आदेश पारित कर अपीलार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कर दिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। निर्विवाद तथ्य है कि अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेंट संख्या एक व दो वादीगण रेकर्डेड सह खातेदार है। रेकर्डेड सहखातेदार के विरुद्ध कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। रेस्पोडेंट संख्या एक व दो का खसरा नं. 179 में केवल 80/804 हिस्सा निहित है जो उन्होने ने स्वयं ने वाद व धारा 212 के प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम इस पत्रावली को दिनांक 04.08.2020 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु आगामी पेशी दिनांक 02.09.2020 की मुकर्रर की। तत्पश्चात रेस्पोडेंट संख्या एक व दो वादीगण द्वारा आवश्यक सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिस पर पत्रावली तलब कर दिनांक 19 अगस्त 2020 को सम्पूर्ण खसरा पर रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार 40 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी, जिससे अपीलार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। दिनांक 02.09.2020 को अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश कर दिया, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 के प्रार्थना पत्र पर अंतिम आदेश पारित नहीं किया तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.09.2020 मुकर्रर कर दी तथा दिनांक 18.09.2020 से आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.10. 2020 मुकर्रर कर दी। आदेश 39 नियम 2 सीपीसी के अनुसार एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा में 30 दिवस के भीतर प्रार्थना पत्र को निस्तारित किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने के उपरांत भी प्रार्थना पत्र को सम्पूर्ण रूप से तय नहीं करने में कानूनी भूल की है। अपीलार्थी मैनादेवी उर्फ नैनीदेवी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पत्नि बाबूराम का वर्तमान में मकान निर्माणाधीन है तथा इस अपीलाधीन आदेश की आड़ में निर्माण कार्य रूकवा दिया गया है। इस कारण माननीय न्यायालय में अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कानून समान अधिकार है, लेकिन किसी खातेदार के मकान निर्माण करने में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जानी चाहिए। वर्तमान में प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलार्थीगण के पक्ष में है, इस कारण अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाना लाजमी है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19 अगस्त 2020 को निरस्त किया जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 179 रकबा 40.04 बीघा संयुक्त खातेदारी की भूमि है। पत्रावली पर उपलब्ध छायाचित्र की प्रतियों एवं मौका फर्द दिनांक 24.08.2020 के मुताबिक ''खसरा नं. 179 रकबा 4.04 बीघा पर बाबूराम पुत्र चानणराम जाति मेघवाल निवासी शेखासर के पुराना मकान बना हुआ था, जिसके आगे का पोर्सन तोड़कर उस पर नया मकान बनाने का कार्य चल रहा था।'' उक्त मौका फर्द से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अपने पुराने मकान के ऊपर ही नया निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब भी प्रस्तुत कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट्स का मकान निर्माण कार्य रूक जाने से उन्हें अपूरणीय क्षति

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कारित होना संभाव्य है। इन परिस्थितियों में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश है और प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का अंतिम निस्तारण होना शेष है। लिहाजा अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अंतरिम आदेश समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19 अगस्त को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष की समुचित सुनवाई कर अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारक तीनों बिंदुओं का विनिश्चय कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण करें, तब न्यायालय हाज द्वारा पारित **आदेश दिनांक 05.10.2020 प्रभावी** रहेगा।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। 18/X/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर